न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 08/2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/13

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्योलय, नागौर		श्री उगमाराम पुत्र देवाराम निवासी–खींयाला,तहसील–जायल

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामूराम उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद प्रर्याप्त तामिल के अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक** :–03.12.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 2050 पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

यह प्रकरण मूल रूप में अतिरिक्त जिला कलक्टर,डीडवाना में विचाराधीन था। जिला डीडवाना– कुचामन नवसृजित जिला हो जाने से तथा यह प्रकरण तहसील जायल जिला नागौर का होने से उस न्यायालय से यह प्रकरण स्थानान्तरण होकर इस न्याायालय को प्राप्त हुआ हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सालय का नोटिस तामिल होने के बाद उनकी ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार सारण ने उपस्थित दर्ज करवाकर प्रकरण में जबाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु अण्डरटेंकिग दी परन्तु उनके द्वारा वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत नहीं किये से तथा आज गैर सायल की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाती हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) की बहस सुनी गई। उन्होने दोराने बहस प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि दिनांक 14.12.2022 को ग्राम खिंयाला के समस्त ग्रामवासियों द्वारा ग्राम खिंयाला में अवैध रूप से संचालित हो रहे पेट्रोल पम्प की शिकायत पर श्री अंकित पंचार जिला रसद अधिकारी,नागौर एवं श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी,श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक व श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, शिकायत की जांच हेतु मौके के सामने से धीमी गति से गुजरे तो डिस्पेंसिंग यूनिट के पास दो व्यक्ति खड़े दिखे। शिकायत के सत्यापन्न हेतु सरकारी वाहन को पेट्रोल पम्प से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़ा कर श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा जिनके द्वारा 5 लीटर क्षमता के एक प्लास्टिक जरीकेन में 400/–रूपये का डीजल भरवाया गया तथा डीजल का भुगतान फोन पे से ट्रांजेक्शन आईडी से किया गया। तत्पश्चात मौके पर पहुंचने पर मौके पर श्री उगमाराम पुत्र श्री देवाराम निवासी खिंयाला उपस्थित मिले जिन्होनें स्वयं को इस पेट्रोल पम्प का प्रोपराईटर होना स्वीकार किया। श्री उगमाराम ने पूछताछ में बताया कि यह बेरल पाईन्ट मैंसर्स चौधेरी फिलिंग स्टेशन खिंयाला के नाम से रजिस्टर्ड हैं। श्री उगमाराम से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर श्री उगमाराम दस्तावेज लाने अन्दर चला गया। इस दौरान पेट्रोल पम्प पर दो ग्राहक आये। ग्राहक श्री राजुराम पुत्र श्री चेनाराम ने एक प्लास्टिक जरीकेन जिसकी क्षमता 5 लीटर हैं,में 5 लीटर डीजल खरीदा। अन्य ग्राहक श्री रामपाल पुत्र भंवरलाल ने स्वयं के ट्रेक्टर वाहन मे 2000/–रूपये का डीजल भरवाया। दोनों ग्राहकों के बयान दर्ज कर फर्द मौका के संलग्न किये गये हैं।

इन दोनों ग्राहको ने अपने बयानों में कहा हैं कि मैसर्स चौधरी फिलिंग स्टेशन खिंयाला नियमित रूप से संचालित होता हैं और वे हमेशा इसी पेट्रोल पम्प से डीजल भरवाते हैं। पेट्रोल पम्प का मौका निरीक्षण करने पर पेट्रोल पम्प पर एक 15 के.एल. क्षमता का भूमिगत टेंक स्थापित

कलक्टर नागौर

किया हुआ पाया गया व एक स्पिेसिग यूनिट जिसके दो नोजल लगे हुए स्थापित पाया गया। डिस्पेंसिंग यूनिट पर डीजल जीसी,3738 खड़ा पाया गया,जिसमें 5 खण्ड बने हुए हैं उक्त टैंक लॉरी के दस्तावेजों के बारे में श्री उगमाराम से पूछताछ करने पर श्री उगमाराम द्वारा 100/– रूपये के स्टाम्प पर एक बयानों में श्री उगमाराम ने बताया कि वह इस पम्प का संचालन जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा जारी अनुज्ञापत्र संख्या 132/99 के आधार पर हाई स्पीड डीजल हेतु बैरल पाईन्ट के रूप में दिनांक 19.02.1999 से आज दिनांक तक कार्य कर रहा हूँ जिसके डिस्पेसिंग यूनिट को मैसर्स चैन पेट्रोलियम एस्सार कम्पनी डीडवाना–कुचामन रोड कम्पनी द्वारा जिस टैंकर से डीजल की आपूर्ति की जाती हैं उस टैंकर को उनके भूमिगत टैंक में खाली करने के पश्चात् उसी पम्प के नोजल से उसी टैंकर में डीजल भरकर मैंसर्स चौधरी फिलिंग स्टेशन, खिंयाला को आपूर्ति किया जाता हैं। श्री उगमाराम ने बताया कि उसके पास डीजल कय करने सम्बन्धी कोई दस्तावेज नहीं हैं। मैसर्स चैन पेट्रोलियम डीडवाना के प्रोपराईटर श्री फैज मोहमद हैं,जिनके पुत्र श्री असलम द्वारा एस्सार पम्प का संचालन किया जाता हैं श्री उगमाराम ने स्वीकार किया उन्होने इस स्पिोंसिंग यूनिट का केलीब्रशन कभी नहीं करवाया और न ही उसके पास विस्फोटक लाईसेंस हैं,यह फिलिंग स्टेशन किसी ऑयल कम्पनी से सम्बद्वता नहीं रखता हैं।

विभागीय पेरोकार यह भी तर्क था कि इस प्रकार विभागीय आदेश द्वारा बैरल पाईन्ट बन्द किये जाने के बावजूद भी श्री उगमाराम द्वारा प्रतिदिन लगभग 200 लीटर डीजल विकय किया जा रहा हैं। भूमिगत टैंक के भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर इसमें कुल 2050 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। नोजल से एल्यूमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ को भरकर डेनसीटी को मापने पर डेनसीटी 15सी पर 829 आई हैं,जिससे यह एचएसडी प्रतीत हुआ। नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम पात्रों में इसी पदार्थ (एचएसडी) से साफ किया गया। गैर सायल द्वारा एक ऐफिडेविट प्रस्तुत किया जिसमें उक्त वाहन मैसर्स ब्ल्युसिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के साथ अटैच किया हुआ बताया गया हैं। गैरसायल ने पुछताछ में बताया कि यह लॉरीटैंकर मैसर्स ब्ल्युसिटी ट्रांसपोर्ट जोधपुर से सम्बद्ध हैं तथा इस वाहन का चालक वाहन को यहॉ छोड़कर चला गया हैं। प्रकरण की वास्तविक स्थिति से श्रीमान् उपखण्ड अधिकाकारी महोदय,जायल को अवगत करवाये जाने पर मौके पर तहसीलदार,जायल मय पुलिस जाब्ता के उपस्थित हुवे । मौके पर स्पिेसिग यूनिट के केलीब्रेशन के सत्यापन्न सम्बन्धी जानकारी हेतु श्री सुरेशकुमार निरीक्षक विधिक माप–विज्ञान को बुलाया गया। मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों/कार्मिकों व गैर सायल की उपस्थिति में लॉरी टैंकर वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 3738 के सभी खण्ड रिक्त पाये गये। गैर सायल उगमाराम द्वारा पेट्रोल पम्प के संचालन के सम्बन्ध में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसका अनुज्ञा पत्र संख्या 132/99 जो मैसर्स चौधरी फिलिंग स्टेशन खिंयाला को डीजल के बैरल पाईन्ट के रूप में अधिकृत किया गया था पेश किया जिसके अवलोकन से उक्त अनुज्ञा पत्र वर्तमान में अमान्य हैं। तीनों एल्युमिनियम पात्रों में प्रति पात्र 1000 एलएल डीजल से भरकर तीनों पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं चस्पा कर तीनों पात्रों को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया जाकर तीनों नमूनों को मार्का ए–1,ए–2 व ए–3 दिया गया। तीनों नमूनों को अलग–अलग सील नम्बरों से सील्ड किया गया। नमूना संख्या ए–1 को वास्ते एफएसएल जांच व नमूना संख्या ए–3 को कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गया। नमूना संख्या ए–2 को श्री उगमाराम को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री उगमाराम से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। इस प्रकार किसी प्रकार के वैध दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर पेट्रोल पम्प पर भण्डारित 2050 लीटर डीजल को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा भूमिगत टैंक से भण्डारित कुल 2050 लीटर डीजल को डिस्पेंसिंग यूनिट के नोजल से मौके पर पाये गये 3(तीन)प्लास्टिक ड्रमो,1 लोहे के ड्रम एवं उचित मूल्य दूकनदार से 02 प्लास्टिक ड्रमों व 06 लोहे के कुल 12 ड्रमों में भरवाकर किराये के पिकअप वाहन से परिवहन कर मैसर्स किसान फिलिंग स्टेशन जायल के प्रतिनिधि को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति ली गई। मैसर्स चौधरी फिलिंग स्टेशन खिंयाला पर स्थापित डिस्पेसिंग यूनिट के नोजल संख्या 1 व नोजल संख्या 2 को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया गया। श्री सुरेशकुमार निरीक्षक विधिक

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

माप विज्ञान द्वारा अवगत करवाया कि इस फिलिंग स्टेशन का किसी भी ऑयल कम्पनी से सम्बन्ध नहीं से पेट्रोलियम पदार्थ का विक्रय किया जाना गैर कानूनी हैं।

इस प्रकार श्री उगमाराम का यह कृत्य Motor Spirit $ High Speed Diesel(Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Mal-practices)Order 2005 के क्लॉज 2 (9D),3(4),(5) व 4 का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रकरण में जब्तसुदा 2050 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत,समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किये जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम खिंयाला के ग्रामवासीयो द्वारा बिना अनुमति चल रहे पेट्रोल पम्प की शिकायत पर रसद विभाग,पुलिस एवं प्रशासन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही दिनांक 14.12.2022 में 2050 लीटर डीजल जब्त किया गया। वक्त कार्यवाही उपस्थित गैर सायल द्वारा उक्त डीजल विक्रय अनुज्ञा पत्र संख्या 132/99 जो मैसर्स चौधरी फिलिंग स्टेशन खिंयाला को डीजल के बैरल पाईन्ट के रूप में अधिकृत किया गया द्वारा विक्रय किया जाना बताया गया हैं। पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति अनुज्ञा पत्र संख्या 132/99 के अवलोकन से उक्त अनुज्ञा पत्र वक्त कार्यवाही वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं था तथा गैर सायल से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन,भण्डारण व विक्रय संबंधित दस्तावेज रसद विभाग की टीम द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं एवं न ही प्रकरण में किसी प्रकार का जबाब प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी उगमाराम के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व विक्रय की आदि की अनुज्ञप्ति नहीं होने से रसद विभाग द्वारा मौके पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त किया जाकर कार्यवाही की गई,जिसके संबंध में फर्द मौका,फर्द जब्ती,मय सुपुर्दगीनामा,फर्द नमूना तैयार की गई एवं अप्रार्थी उगमाराम के बयान लिये गये,उक्त सभी दस्तावेजो पर अप्रार्थी उगमाराम द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ Diesel (IS 1460) हैं,जिसके परिवहन,भण्डारण एवं विक्रय हेतु वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक हैं। दोराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं। जिससे प्रकरण में रसद विभाग द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसद मामला प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तसुदा 2050 लीटर डीजल पेट्रोलियम पदार्थ को एवं जब्त शुदा सामग्री को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने एवं जब्त शुदा अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण के आदेश जिला रसद अधिकारी को दिये जाते हैं एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,नागौर

कलक्टर नागौर